Mani Foundation

LET'S MAKE A BETTER WORLD

Making everyone happy.

Give them a fresh outlook on life.
You can make their wishes come true.
Give them hope for a tomorrow

Lalit Maurya
Chairman

Ramjanam
Secretary

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP09388255107448V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

369/13

Certificate No.	:	IN-UP09388255107448V
Certificate Issued Date	:	21-Dec-2023 01:58 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14394804/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1439480414401703176530V
Purchased by	:	MANI FOUNDATION TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MANI FOUNDATION TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	MANI FOUNDATION TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

LOCKED, BY

S.R. IIIrd

ACC Name:-Pradeep Kumar Baranwal
ACC Code:-UP14394804
ACC Add:-Orderly Bazar, Vns.
Mobile No.-9451865071
Licence No.-50/9/107/77
Distt.-VARANASI

IN-UP09388255107448V

Please write or type below this line

lalit

RD 0021048047

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

202300996053652

दस्तावेज (ट्रस्ट/न्यास) का घोषण–पत्र

हम कि **श्री ललित मौर्या** पुत्र भाईराम मौर्या निवासी म0नं0 सी–14/113–बी, हवेलिया, वाराणसी उ0प्र0–221002 का निवासी हूँ। **"मनी फाउण्डेशन ट्रस्ट"** का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर करता हूँ।

मो0नं0– 7905407126

ट्रस्ट (न्यास) की विविध प्रतिबद्धताः

यह ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस ट्रस्ट एक्ट के वे समस्त नियम/उप नियम लागू होंगे जो इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विद्या में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम	: **"मनी फाउण्डेशन ट्रस्ट"**
ट्रस्ट का पता	: म0नं0 सी–14/113–बी, हवेलिया, वाराणसी उ0प्र0–221002
ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय	: म0नं0 सी–14/113–बी, हवेलिया, वाराणसी उ0प्र0–221002
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	: सम्पूर्ण भारत
ट्रस्ट निर्माता (न्यासकर्ता)	: **श्री ललित मौर्या**

<u>ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनाने हेतु अपनी संहर्ष सहमति प्रदान की</u> है:–

क्र. सं.	ट्रस्टी नाम	पिता / पति का नाम	ट्रस्टी पद	पता	व्यवसाय
1.	श्री ललित मौर्या	पुत्र भाईराम मौर्या	मुख्य संस्थापक / अध्यक्ष	म0नं0 सी–14 / 113–बी, हवेलिया, वाराणसी उ0प्र0–221002	समाज सेवा
2	श्री राहुल मौर्या	पुत्र भाईराम मौर्या	सदस्य	म0नं0 सी–14 / 113–बी, हवेलिया, वाराणसी उ0प्र0–221002	समाज सेवा
3.	श्री रामजनम मौर्या	पुत्र केदारनाथ	सदस्य	12, बाराडीह, अहरौरा, मिर्जापुर।	समाज सेवा

ट्रस्ट का स्वरूप :

यह ट्रस्ट एक अलाभकारी, गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, स्वैच्छिक संगठन है जो धर्म जाति, वर्ग सम्प्रदाय व राजनीतिक से ऊपर उठ कर जनहित में कार्य करेगी। ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार को कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नही होगा, बल्कि ट्रस्ट सभी प्रकार के लोगो के विकास व लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य : ट्रस्ट के निम्न मुख्य उद्देश्य होंगे–

1. मेडिकल कालेज, हास्पिटल, नर्सिंग होम, नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर, मेडिकल से संबंधित दवाओं, सर्जिकल आईम, पैथलैब, डायोग्नोस्टिक सेन्टर, इत्यादि सभी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों को करना।
2. संस्था के माध्यम से स्कूल कालेज, कौशल विकास से संबंधित हथकरघा, पावर लूम इत्यादि रोजगार से संबंधित शिक्षा देना तथा लोगो को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
3. सभी प्रकार के सरकारी गैर सरकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुँचाने का कार्य करना।
4. धूमपान, मद्यपान, नशा उन्मूलन तथा सभी प्रकार गलत कार्यों को रोकने के लिए समाज में प्रयास करना।
5. टेक्निकल कालेज आई0आई0टी0 कालेज दिव्यांग, विधवा, सभी पर रहने वाले बेघर, गरीब असहाय आदि लोगों के लिए कार्य करना।
6. समाज के सभी वर्गों के जीवन के उत्थान तथा उनकी प्रगति के सम्प्रयक बनने तथा उनके सभी प्रकार से सहयोग की व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंगेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाए यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय, चिकित्सा शिक्षा मेडिकल कालेज, प्रबन्धन तथा विधि महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना।
8. राष्ट्रीय सुरक्षा संस्कृति, अर्थ व्यवस्था, को सुदृढ़ तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सामाजिक राजनैतिक पार्टी के रूप रजिस्टर्ड होकर कार्य करना जो पूर्ण रूप से सामाजिक हित के लिए होगा।

Lalit

आवेदन सं०: 202300996053652

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 369	वर्ष: 2023

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री ललित मौर्या ,
पुत्र श्री भाईराम मौर्या
व्यवसाय : अन्य
निवासी: म०नं० सी-14/113-बी, हवेलिया, वाराणसी।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 21/12/2023 एवं 02:38:55 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमित कुमार सिंह प्रभारी
उप निबंधक :सदर तृतीय
वाराणसी
21/12/2023

संदीप मौर्य .
निबंधक लिपिक
21/12/2023

प्रिंट करें

9. विधवा आश्रम , वृद्वा आश्रम , अनाथालय इत्यादि की स्थापना करना तथा संस्था के माध्यम से संचालित करवाना।
10. नशा उलमूलन के क्षेत्र में कार्य करना तथा सभी प्रकार के समाज में व्याप्त नशा को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना
11. आदिवासी गरीब तथा अति पिछडे जनजातिय समुदाय के लिए काम करना
12. जरूरत पड़ने पर संस्था के अन्तर्गत राजनैतिक पार्टी का निर्माण करना तथा उसको राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करना।
13. समाज के विकास के लिए राजनैतिक तथा सामाजिक रूप से पूरा सहायोग करना तथा समाज के हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना।
14. प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा का देश–प्रदेश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना व संस्थान की स्थापना करना। युवक व युवतियों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना है तथा रोजगार की व्यवस्था करना।
15. बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0 आई0टी0आई0 टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना।
16. सेक्स वर्करस को उनके काम से निकालने के लिए प्रयास करना तथा उनके बच्चों सेक्स वर्करस को सही दिशा में लाने के लिए प्रयास करना व उनके लिए स्वरोजगार तथा शिक्षा की व्यवस्था करवाना जिससे वह अपना जीवन यापन समाज में सही ढंग से कर सकें।
17. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविद्धत करना।
18. न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सकें।
19. इस न्यास व इसके उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार, ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जाय विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकूलर्स) इसके कार्यो के प्रदर्शनी, परितोषिक तथा दान आदि वितरित करना।
20. अस्पताल, स्कूल, अभियंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय, डिस्पेन्सरी प्रसूति गृह बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या गृह तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्ण संस्थाओं की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में ही स्थापना करना, उनका उत्थान करना व उन्हे धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।
21. परिवार कल्याण एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यकम।
22. विभिन्न संकामक / गैर संकामक बीमारियों जैसे एड्स, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलियों, मोतियाबिन्द आदि के रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनो तथा व्यक्तियों के मदद से कार्य करना।
23. उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, कीडा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला आदि की जनसामान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हे चलाना तथा उनकी सहायता करना।

lalit

आवेदन सं०: 202300996053652

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 369 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री ललित मौर्या, पुत्र श्री भाईराम मौर्या

निवासी: म०नं० सी-14/113-बी, हवेलिया, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सोनू मौर्या , पुत्र श्री लालचन्द मौर्या

निवासी: अमराखैरा चक, चुनार रोड, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री आदित्य कुमार पटेल , पुत्र श्री मोती लाल

निवासी: म०नं० एन-12/429-के, पटिया, लखराव, बजडीहा, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमित कुमार सिंह प्रभारी
उप निबंधक : सदर तृतीय
वाराणसी
21/12/2023

ने दी । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान [illegible]
नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

संदीप मौर्य .
निबंधन लिपिक वाराणसी
21/12/2023

प्रिंट करें

24 विचारकों, विधवाओं, अन्धों, वृद्धों, गरीबों, जरूरतमन्दों, अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए-आश्रम गृह, धर्मशाला, विद्यालय, नवजात शिशुओं के लिए आश्रम गृह अनाथालय आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्धन करना और इस प्रकार के लोगों की सहायता करना।

25. योग को बढ़ावा देने के लिए योग का गांव शहर शिविर लगाना व क्लास चलाना।

26. शारीरिक रूप से विकलांग, अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमें ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन, कपड़ा आदि देकर सहायता की जाय।

27. स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग के प्रति लोगों को जगाना। नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार करना।

28. महिला उत्पीड़न को रोकना तथा महिलाओं को उनके अधिकार, आत्म–सम्मान के लिए जागृत करना।

29. लोकगीत, संगीत व एलबम का निर्माण कर भोजपुरी भाषा के प्रति जनजागरूकता पैदा करना। संगीत विद्यालय खोलना आदि दुधारू पशुओं की हत्या को रोकने हेतु समाज के लोगो को जागरूक करना।

30. राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यकम के तहत सफाई कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ कर भाग लेना व प्रेरित करना।

31. राजनैतिक समाजिक कार्यक्रमों का संचालन करना तथा समाज में व्याप्त बुराईयों को खत्म करने के लिए प्रयास करना।

32. अन्य सार्वजानिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।

33. अनाथ, गरीब, विकलांग बच्चों हेतु आवासीय/अनावासीय विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना।

34. प्राथिमक, माध्यमिक एव उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार के विभिन्न योजनाओं को संचालित करने हेतु गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0)के रूप में सहभागिता करना।

35. कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनूसचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, मानवाधिकार आयोग से सम्बन्धित कार्य, कानून एवं व्यवस्था का विकास स्वैच्छिकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान, नागरिक उड़डयन, सहकारिता उर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, चिकित्सा, कम्प्यूटर, कृषि इत्यादि) संस्कृत शिक्षा वन आवास एवं शहरी नियोजन, गन्न विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवार कल्याण समाज कल्याण पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रम, भूतत्व एवं खनिज कर्म खेलकूद युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान पर्यावरण लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कुति मत्स्य, विकलांग कल्याण पचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एव गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायत राज बैंकिंग, भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्तकर्ता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात

Lalit

प्रोत्साहन,पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा–यमुना आदि स्वैच्दिककरण, आपदा राहत पेयजल एवं स्वच्छता सहकारी समितियॉ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित एवं सर्वहित बीमा स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्ध संस्थाऐं, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सैंसिंग, ललित कला, चित्रकला, बैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आन्तरिक लेंखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता सग्राम सेनानी, उपभोक्ता संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारा, विचार, प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाऐं आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना।

36. उपभोक्ता सभी किया–कलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तर्राष्टीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना।
37. अनुदान/दान आदि से प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।
38. ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न तथा दान एवं अन्य सहयोग के समय–समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।
39. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में समस्त प्रकार के क्षेत्रों में व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण देना एवं गरीब/कमजोर/अनाथ युवक/युवतियों को स्वावलम्बित बनाने हेतु अन्य सभी सरकारी योजनाओं में गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) के रूप में कार्य करना।
40. छात्र/छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधायें भी हों।

न्यास की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियॉः–

न्यास की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक श्री ललित मौर्या द्वारा दिये गयें दस हजार रूपये (10000.00) को ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट की कोई अन्य चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधान के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियॉ धारण करेगी।

1. ट्रस्ट/न्यास के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तो के साथ या बिना शर्तों के स्वीकार करना।
2. इस न्यास पत्र की शर्तो के अधीन न्याय की सम्पत्तियॉ तथा आय या उसके किसी भी भाग को न्यास के उद्देश्ययों की पूर्ति अपने विवेकानुसार समय–समय पर उपयोग करना।
3. न्यास राशि को बढाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियॉ प्राप्त करना।
4. न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विकय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना, लाइसेंस पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।
5. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।,
6. विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्तन करना या निरस्त करना

lalit

7. न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना, अनुबन्ध करना, तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।
8. न्यास के उद्देश्यों हेतु मुख्य संस्थापक या अध्यक्ष ट्रस्टी द्वारा अनुदान प्राप्त करना या देना तथा उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।
9. सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व, म्युनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद, अपील, रिव्यू चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिव्यूनल के समक्ष आदि को दायर करना उन्हे चलाना तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरूद्ध दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
10. न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्ति करना और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना। न्यास परिषद के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिव्यूनल आदि में विवादित नही किया जा सकेगा या चुनौती नही दी जा सकेगी।
11. न्यास की सम्पत्ति या किया–कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना।
12. न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।
13. न्यास परिषद की सहमति पर अपनी कुछ शक्तियॉ किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधिनित करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
14. न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो।
15. न्यासियों को सहमति पर लोगो को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय–समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नही होगा।
16. न्यासीगणों की सहमति से निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना।
17. न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तों, दावों, मांग मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौपने तथा समायोजित करना।
18. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनाएँ बनाना एवं उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास / न्यासों द्वारा संचालित संस्थाओं के किया–कलापों के प्रबन्ध आदि हेत योजनाएँ तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना।
19. जनहित में किसी भी पूर्व संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना, पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्त लागू करना।
20. न्यास की आय न्यास की विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास निधि में जमा करना।

lalit

21. देश व विदेश में ऐसे न्यास, न्यास पूर्त संस्थायें / सोसाइटी / संगठन आदि की न्यास की-आय में से दान आदि देकर सहायत करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्ययो की पूर्ति कर सकें। ऐसे न्यासों, न्यास पूर्व संस्थाओं / समितियों / संगठनों इत्यादि को पुनः करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।
22. संस्था के खातों का व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के किया–कलापों कार्यवाहियों, मांगों, दावों या वाद–विवाद में जैसा व उचित समझे समझौते करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फैसले हेतु सौपना।
23. न्यास की सम्पत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना, ऋण लेना और न्यासीगण सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तो का निर्धारण न्यासीकरण की विवेकानुसार किया जायेगा।
24. न्यास के उद्देश्यो को पूर्ति हेतु सरकार सहकारी संस्थाए, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, अनुदान मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तो को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना समझौता करना तथा अनुदान की प्राप्त तथा ऋण वापसी इत्यादि की शर्ते इत्यादि करना।
25. न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास / सोसाइटी / संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना ग्राम सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861की धारा 80जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।
26. न्यास की अन्य शाखा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिसके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हे इस न्यास को जोडना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
27. ऐसे संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबन्धित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान के समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्त लागू करना।
28. इस न्यास में जिन अन्य न्यासों, संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, का खरीदना व प्राप्त करना।
29. न्यास की सम्पत्ति, आस्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।
30. न्यास को उन अन्य समिति, संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तो में सौपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझें, परन्तु इस सम्बन्ध में संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से अनुचित हो, जायेंगे और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।
31. न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चा को निश्चित करना, उन्हें, अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठको के सम्बन्ध में नियम बना सकते है और उन नियमों का समय–समय पर

Lalit

संशोधित कर सकते है। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम संस्थापक ट्रस्टी द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त की प्रभावी होगे।

32. न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध–न्यासी व समिति आदि शामिल है, को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपनें नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूँजी व निवेश के सम्बन्ध मे न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।

33. न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है, जिससे न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सके।

34. न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता व अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तो पर ले सकते है, जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।

35. न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेंगे और बहुमत द्वारा लिये निर्णय प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेंगे।

36. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्टों की वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।

37. ट्रस्ट रजिस्टर्ड होने के पश्चात भारत के किसी भी स्थान पर सुविधा अनुसार शाखा खोलकर अपने ट्रस्ट का संचालन कर सकती है।

ट्रस्ट का कार्यकालः

ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा, अध्यक्ष ट्रस्टी के अन्त के बाद अध्यक्ष ट्रस्टी की पत्नी/पुत्र या पुत्रबधु/पुत्री कमशः जो भी हो अध्यक्ष ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्यास) समिति के संस्थापक ट्रस्टी का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा।

ट्रस्ट की सदस्यता :

ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी व सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या 3 होगी एवं ट्रस्ट में किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से एक लाख रूपये (रू0 1,00,000/–) सदस्य शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती हैं। जिससे ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगें एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। इस सदस्य को साधारण सदस्य कहा जायेगा। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोगों को ट्रस्ट को एक लाख रूपये (1,00,000/–)दान दे, संस्थापक सदस्यों के बहुतम द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी के लिखित सहमति के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकतें है। परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबन्ध संस्थापक ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक अध्यक्ष ट्रस्टी ही होगा।

Lalit

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्यः

मुख्य संस्थापक ट्रस्टीः

1. ट्रस्ट का साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू संचालन हेतु नियम, निर्देश तय करना।
2. मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।
3. ट्रस्ट के नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति/असहमति लिखित रूप में प्रदान करना।
4. न्यास/न्यास से सबन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हो) के कियान्वयन तथा ट्रस्ट के समस्त वित्तीय लेनदेन बैंकिंग कार्यवाही संस्थापक ट्रस्टी के हस्ताक्षर से होगा।
5. न्यास के सभी पत्राचार संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी के नाम होंगे।
6. न्यास की समस्त राशियों का व खातों का संस्थापक ट्रस्टी के सहयोग से संचालन।
7. सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब–किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों का उन्हें प्रस्तुत करना।
8. जहॉ कही किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहॉ अन्तिम निर्णय देना।
9. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का कय–विकय लीज (पट्टा)करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।
10. मुख्य ट्रस्टी चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
11. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एव उसे खर्च कर सकता है।
12. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
13. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी सदस्य के कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता हैं। यह प्राविधान संस्थापक एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नही होगा।
14. नये सदस्यों के लिए स्वहास्ताक्षरिता रसीद जारी करना।

अध्यक्ष ट्रस्टीः

श्री ललित मौर्या अध्यक्ष ट्रस्टी होगे।

सदस्य ट्रस्टीः

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं मे स्वार्थहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास)के अंगः

ट्रस्ट (न्यास)निम्निलिखित दो वर्ग की होगी।

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

बैठकें :

1. साधारण बैठकें:– ट्रस्ट (न्यास)के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी।
2. विशेष बैठकः– दो तिहाई सदस्यो की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यकता बैठक बुलायी जा सकती है।

Lalit

केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगो को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

विघटन–अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण पर स्वामित्व व संस्थापक ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी। इस ट्रस्ट डीड के द्वारा कोई स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण नहीं हो रहा है। यह कि 750/–रूपया का ई–स्टाम्प अदा किया जा रहा है जिसका सर्टिफिकेट नं0 IN-UP09388255107448V दिनांक 21-12-2023 है।

दिनाक : **21.12.2023 ई0**

गवाह :–

1.
नाम व हस्ताक्षर :– सोनू मौर्या
पिता का नाम :– लालचन्द मौर्या
पता :– अमराखैरा चक, चुनार रोड, वाराणसी।
मो0नं0:– 8318147216

2.
नाम व हस्ताक्षर :– आदित्य कुमार पटेल
पति का नाम :– मोती लाल
पता :– म0नं0 एन–12/429–के, पटिया, लखराव, बजडीहा, वाराणसी।
मो0नं0:– 8840494944

मसविदाकर्ताः–
गुरू प्रसाद पाण्डेय एडवोकेट
कलेक्ट्री कचहरी वाराणसी।

टाईप्रकर्ता:–
एस0 कम्प्यूटर
कलेक्ट्री कचहरी वाराणसी।

आवेदन सं०: 202300996053652

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 282 के पृष्ठ 255 से 280 तक क्रमांक 369 पर दिनाँक 21/12/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमित कुमार सिंह प्रभारी
उप निबंधक : सदर तृतीय
वाराणसी
21/12/2023

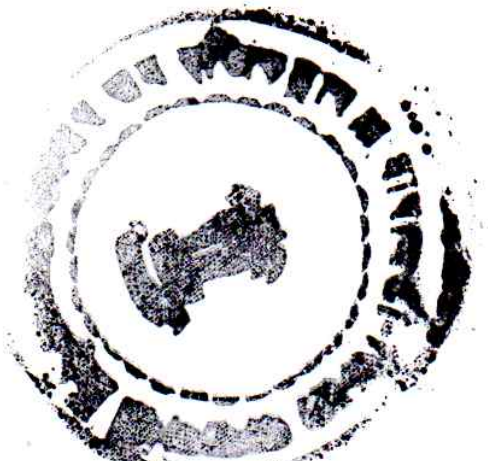

सत्यमेव जयते

NITI Aayog

(National Institution for Transforming India)
Government of Inida

Certificate of Enrollment

To

MANI FOUNDATION TRUST

is

enrolled with NGO Darpan Portal offered by the NITI Aayog in association with National Informaticn Center to bring about greater partnership between government & voluntary sector and foster better transparence, efficiency and accountability. with

Unique Id : **UP/2024/0385950**

सत्यमेव जयते NGO DARPAN

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

ई-स्थायी लेखा संख्या कार्ड
e - Permanent Account Number Card

AAJTM1201A

नाम / Name

MANI FOUNDATION TRUST

निगमन / गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation

21/12/2023

Tax Exemption benefits to
NGO
by getting Registered under
12 A and
80 G
Registration Documents
Mani Foundation Trust

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for provisional registration

1	PAN	AAJTM1201A
2	Name	MANI FOUNDATION TRUST
2a	Nature of Activities	Charitable
2b	Address	
	Flat/Door/Building	C-14/113-V
	Name of premises/Building/Village	Haweliya
	Road/Street/Post Office	Sarnath S.O
	Area/Locality	Asapur
	Town/City/District	VARANASI
	State	Uttar Pradesh
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	221007
3	Document Identification Number	AAJTM1201AE2023101
4	Application Number	910750350230124
5	Unique Registration Number	AAJTM1201AE20231
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional registration is being granted	02-Item (A) of sub-clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A
7	Date of provisional registration	30-01-2024
8	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally registered	From AY 2024-25 to AY 2026-2027
9	Order for provisional registration:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional registration with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the provisional registration by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	The registration is granted subject to the following conditions:-	
	a. Any income derived from property held under trust, wholly or in part for charitable or religious purposes, shall not be applied, other than for the objects of the trust or institution.	

	b. The trust or institution shall not have income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives.	
	c. Separate books of account shall be maintained by such trust or institution in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives.	
	d. The trust or institution shall not apply any part of its income from the property held under a trust for private religious purposes, which does not enure for the benefit of the public.	
	e. The trust or institution established for charitable purpose created or established after the commencement of this Act, shall not apply any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste.	
	f. No non-genuine activity shall be carried out by the trust or institution.	
	g. No such activity shall be carried on by the trust or institution which is not in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered.	
	h. The trust or institution shall comply with the requirement of any other law, as referred to in item (B) of sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12AB.	
	i. The form for registration in Form No 10A has been duly filled in by providing all the information or documents and no false or incorrect information or documents have been provided.	
	j. The trust or institution shall apply for registration within 6 months of commencement of the activities or at least 6 months prior to the expiry of period of provisional registration, whichever is earlier.	
	k. Where the trust or institution has adopted or undertaken modifications of the objects which do not conform to the conditions of registration, the trust or institution shall make an application in the prescribed form and manner to the Principal Commissioner or Commissioner, for registration of the trust or institution, within a period of thirty days from the date of the said adoption or modification.	
	Name and Designation of the Registration Granting Authority	Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax (Digitally signed)

INCOME TAX DEPARTMENT

Signature Not Verified

Digitally signed by AMRITA RANJAN
Date: 2024.01.30 18:16:04 IST

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for provisional approval

1	PAN	AAJTM1201A
2	Name	MANI FOUNDATION TRUST
2a	Nature of Activities	Charitable
2b	Address	
	Flat/Door/Building	C-14/113-V
	Name of premises/Building/Village	Haweliya
	Road/Street/Post Office	Sarnath S.O
	Area/Locality	Asapur
	Town/City/District	VARANASI
	State	Uttar Pradesh
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	221007
3	Document Identification Number	AAJTM1201AF2024101
4	Application Number	910763400230124
5	Unique Registration Number	AAJTM1201AF20241
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional approval is being granted	12-Sub-clause (A) of clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G
7	Date of provisional approval	30-01-2024
8	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally approved	From AY 2024-25 to AY 2026-2027
9	Order for provisional approval:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional approval with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the provisional approval by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	The approval is granted subject to the following conditions:-	

	a. The registration granted under section 12AB or approval granted under clause (23C) of section 10 has not been cancelled by the Principal Commissioner or Commissioner for specified violations as mentioned in sub-section (4) of section 12AB or under fifteenth proviso to clause (23C) of section 10.	
	b. The form for approval in Form No. 10A has been duly filled in by providing all the information or document and no false or incorrect information or documents have been provided.	
	c. The institution or fund shall apply for approval within 6 months of commencement of the activities or at least 6 months prior to the expiry of period of provisional approval, whichever is earlier.	
	d. The registration granted under section 12AB or approval granted under clause (23C) of section 10 has not been cancelled by the Principal Commissioner or Commissioner as authorised by the Board for non-compliance of conditions mentioned in rule 2C or rule 17A of the Income- tax Rules, 1962.	
	Name and Designation of the Approving Authority	Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax (Digitally signed)

Signature Not Verified

Digitally signed by
AMRITA RANJAN
Date: 2024.01.30
18:16:07 IST

Registration Documents

Mani Foundation Trust

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Dated : 02-02-2024

NOTE - THIS LETTER IS ONLY AN APPROVAL FOR REGISTRATION OF THE ENTITIES FOR UNDERTAKING CSR ACTIVITIES.

To,
MANI FOUNDATION TRUST , C-14/113-V
Haweliya,Sarnath,Asapur,VARANASI,UP70,UP,221007

PAN : AAJTM1201A

Subject: In Reference to Registration of Entities for undertaking CSR activities
Reference: Your application dated 02-02-2024 (SRN-F91600544)

Sir/Madam,

With reference to the above, it is informed that the entity has been registered for undertaking CSR activities and the Registration number is CSR00066352. Please refer the registration number for any further communication.

DS DS MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (GOVT OF INDIA) 1

Registrar of Companies

ROC-DELHI

Note: The corresponding form has been approved and this letter has been digitally signed through a system generated digital signature.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

ललित कुमार मौर्या
Lalit Kumar Maurya
जन्म तिथि/ DOB: 07/09/1992
पुरुष / MALE

6403 7799 8600

मेरा आधार, मेरी पहचान

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
LALIT KUMAR MAURYA
BHAIRAM MAURYA
07/09/1992
COMPM1559J

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड

Permanent Account Number Card

BXYPM0072L

नाम / Name

RAHUL KUMAR MAURYA

पिता का नाम / Father's Name

BHAIRAM MAURYA

जन्म की तारीख / Date of Birth

10/10/1995

हस्ताक्षर / Signature

93865

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राहुल कुमार मौर्या
Rahul Kumar Maurya
जन्म तिथि/ DOB: 10/10/1995
पुरुष / MALE

6089 3414 1717

मेरा आधार, मेरी पहचान

आयकर विभाग
भारत सरकार
INCOME TAX DEPARTMENT
GOVT. OF INDIA
स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
BJDPJ8200Q
नाम / Name
RAM JANAM
पिता का नाम / Father's Name
KEDARNATH
जन्म की तारीख/Date of Birth
01/01/1987
हस्ताक्षर / Signature

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राम जनम
Ram Janam
जन्म तिथि / DOB: 01/01/1987
पुरुष / MALE
2931 0924 2678
मेरा आधार, मेरी पहचान

HDFC BANK

HDFC BANK LTD, GRD AND 1ST FLOOR N 13 209 BRIDGE ENCLAVE SUNDERPUR
VARANASI UTTAR PRADESH,VARANASI-221005.UTTAR PRADESH

RTGS / NEFT IFSC : HDFC0008442

D D M M Y Y Y Y

Valid for 3 months only

new issueN08442000001 /BLUEFC-25

SESHAASAI(C)/ CTS-2010 120224

Pay **Or Bearer** या धारक को

Rupees रुपये

अदा करें ₹

A/c. No. खाता क्र. **50200092278311**

Brn: 8442 Pdt:762
CA-INSTITUTION

(New Account)

Payable at par through clearing/transfer at all branches of HDFC BANK LTD

Cancelled

For MANI FOUNDATION TRUST

lalit

Authorised Signatories

Please sign above / कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें

⑈000001⑈ 221240020⑆ 000423⑈ 29

inch.

new issueN08442000001 /BLUEFC-25

SESHAASAI(C)/ CTS-2010 120224

HDFC BANK

HDFC BANK LTD, GRD AND 1ST FLOOR N 13 209 BRIDGE ENCLAVE SUNDERPUR
VARANASI UTTAR PRADESH,VARANASI-221005 UTTAR PRADESH
RTGS / NEFT IFSC : HDFC0008442

D D M M Y Y Y Y
Valid for 3 months only

Pay ____ **Or Bearer**
या धारक को

Rupees रुपये ____

अदा करें ₹

A/c. No. खाता क्र. **50200092278311**

Brn: 8442 Pdt:762 **(New Account)**
CA-INSTITUTION

For MANI FOUNDATION TRUST

Payable at par through clearing/transfer at all branches of HDFC BANK LTD

Authorised Signatories
Please sign above / कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें

⑈000001⑈ 221240020⑆ 000423⑈ 29

HDFC BANK
We understand your world

HDFC Bank Limited
Grd. And 1st Floor,
N-13-209, Bridge Enclave,
Sunderpur, Varanasi,
Uttar Pradesh - 221 005.

Date-13/02/2024

This is to certify that MANI FOUNDATION TRUST is having a account with HDFC BANK Ltd

Sunderpur , Varanasi Branch, account no 50200092278311 since 12/02/2024

Name of Account	MANI FOUNDATION TRUST
Account Number	50200092278311
Account opening date	12/02/24
Address of Bank Branch	Sunderpur Brijinclave Colony Varanasi 221005
Account Address as per Bank record	M N C-14/113-V HAWELIYA PO SARNATHVARANASI 221002
IFSC Code	HDFC00008442

Deposit limit of the account is unlimited with Valid source of the fund
The certificate has been issued on the specific request of the customer without any risk and responsibility of Bank.

HDFC BANK LTD. Sunderpur Branch (8442) SIGNATURE VERIFIED
13/2/24

Authorised Signatory

TANDARUST BHARAT

PROJECT REPORT
of

Mani Foundation Trust

Jaldaan - A step to new life

JAL DAAN

TANDARUST BHARAT

What is Mission Jaldaan

- Mission Jaldaan is our initiative where in we want to ask the privileged members of our society to come forward and pledge to donate clean drinking water to the needy
- Which means the expectation is that every affordable house in the country will donate at least 5 litre of healthy drinking water daily to people around them who needs them the most like their maids , drivers , Vegetable vendors etc. .
- It's a pledge which the society will take together to make clean drinking water available to everyone around

JAL DAAN

Scanned by CamScanner

TANDARUST BHARAT

School Contact Programme

- We aim to cover 325000 schools across country to take the pledge
- We have already conducted a pilot activity 3 cities covering 17 schools, which gave us a tremendous response
- We should look at extending the School contact program to rest of the country

JAL DAAN

Scanned by CamScanner

TANDARUST BHARAT

Process @School-Approach & Process

- ✓ Identifying A,A+ schools in each area or zones
- ✓ 325000 Schools to be covered across country in 3 phases the 1st phase to start from January 2019
- ✓ Scheduling meetings with the school Principal and finalize the date for the activity , activity will be conducted in 2 phases –
  - ✓ Phase 1 – Informing the kids about the whole initiative , distributing them a pledge form (Which they need to get it signed by their parents)
  - ✓ Phase 2 – Collecting of collected referred pledges
- ✓ 1 team allotted for each school to conduct the process

JAL DAAN

Scanned by CamScanner

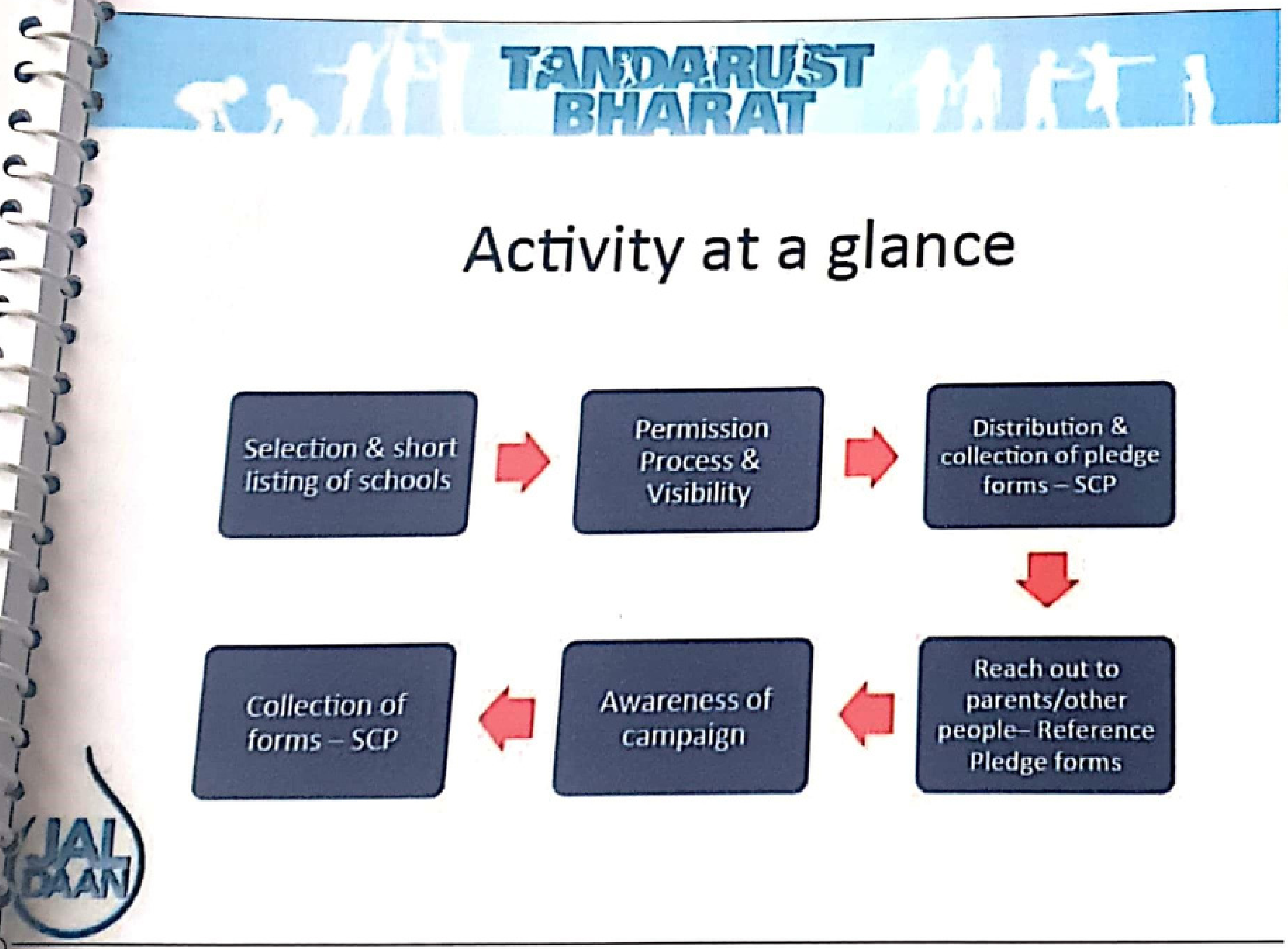

Scanned by CamScanner

TANDARUST BHARAT

SCP Visit 1

- Blocking dates for selected schools for the activity
- On the day of the activity our team of trained promoters to reach the school
- Each team consists of 1 Presenter – Dressed as a Doctor and 3 Helpers
- Presenter to open the speech by explaining the problems caused due to non availability of clean drinking water to a large section of the society
- To explain the same , he shall have a flip card with easels with the names of all the water borne disease written over germ like creatures
- This helps the kids to retain the information of water borne diseases in an interesting manner

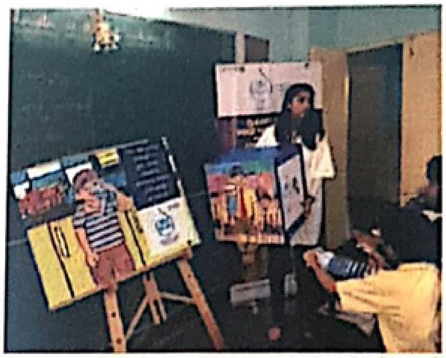

JAL DAAN

Scanned by CamScanner

TANDARUST
BHARAT

Cont..

- Post the introduction about the problem the presenter will speak about the Jaldaan initiative and explain them how they can make a big difference
- Pledge forms will be distributed to the kids , which they need to sign .
- Signed pledges from the kids will be collected on the spot
- Each kid will be given a wrist band with Jaldaan branding , a symbol which they carry back home
- Each child will be requested to increase the pledge chain ahead with their known people (Family & Friends in the community)
- Reference sheet will be distributed to each kid , where they need collect pledge from more and more people

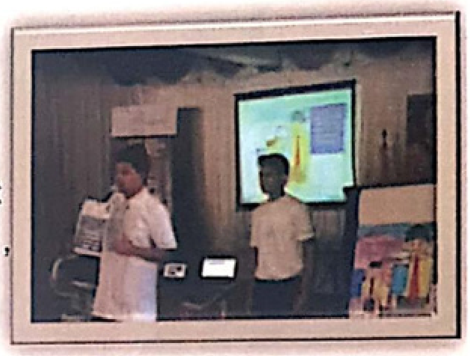

JAL DAAN

Scanned by CamScanner

Steps to be a part of this Campaign

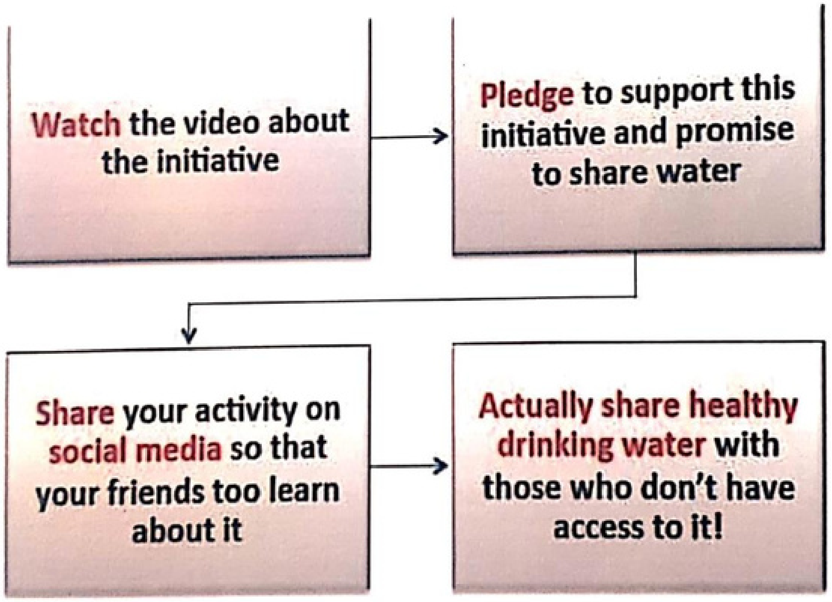

JAL DAAN

Scanned by CamScanner

TANDARUST BHARAT

Cost for over all CSR Campaign

Sr.No	Element	Rate	Qty	Visit	Schools	Amount
1	**Permission Phase**					
i	Manpower for Permission for the Activity	1500	1	2	325000	975000000
ii	Travel for Manpower	500	1	2	325000	325000000
2	**Execution Phase**					
i	Presenter for the School activity	5000	1	1	325000	1625000000
ii	Promoter for the activity	1500	4	1	325000	1950000000
iii	Print & Colleteral	5000	1	1	325000	1625000000
iv	Jaldaan Wrist band & Book Sponsor branded	54	750	1	325000	13162500000
v	Essel Stand	2500	1	1	325000	812500000
vi	PA System	3500	1	1	325000	1137500000
vii	Flip Chart	3000	1	1	325000	975000000
viii	Ground Transporration	3000	1	1	325000	975000000
ix	Projector with screen	4000	1	1	325000	1300000000
x	Misc	300	1	1	325000	97500000
xi	Reporting & Communication	200	1	1	325000	65000000
3	**Collection of Pledge Form**					
1	Manpower for collection of Pledges	1500	3	1	325000	1462500000
2	Ground Transportalon	3000	1	1	325000	975000000
	Total					**27462500000**
	Agency Fees@10%					2746250000
	Sub Total					**30208750000**

Scanned by CamScanner

TANDARUST BHARAT

Thank You

JAL DAAN

Scanned by CamScanner